

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी

पत्रांक- 1998 /33-1 / दिनांक, झांसी, जनवरी 20, 2021।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय- जनपद झांसी में झांसी-बबीना-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 (नया) 44 के कि०मी० संख्या-0.0 से 3.0 तक चौड़ीकरण/फोरलेन में प्रभावित मार्ग पटरी की 4.20 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 344 प्रभावित वृक्षों के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक-2088/15-1, दिनांक 16.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी के संदर्भित पत्र-2088/15-1, दिनांक 16.01.2021 द्वारा ऑन लाईन कर समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑन-लाईन एक्नोलेजमेन्ट स्लिप सहित तीन प्रतियों में संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

इस कार्यालय द्वारा भी भाग-3 पर आवश्यक टिप्पणी अंकित कर प्रस्ताव तीन प्रतियों में मूल में सी०डी० सहित ऑन-लाईन डाटा इन्ट्री कर सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- 1. प्रस्ताव तीन प्रतियों में।
2. KML फाईल सी०डी०-3
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक-2088/15-1, दिनांक 16.01.2021 की छायाप्रति।

भवदीय

(जी०पी०सिंह)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृ०सं०- 1 / समदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक महोदय, बुन्देलखण्ड जोन, उ०प्र० झांसी को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग, झांसी को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय से प्रकरण से भिन्न अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव व पत्र प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराने एवं प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(जी०पी०सिंह)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. रथल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, -

क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
 किया है (हां/नहीं) यदि हो तो निरीक्षण नोट
 के रूप में संलग्न करें।

नहीं।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी -
 गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव
 में सहमत हैं।

सहमत है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में -

सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के
 साथ विशेष सिफारसें।

प्रस्तावित वन-मालिकों आंखों को
 सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के
 वन संरक्षण आयोग 1980 के
 अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने की
 सलाह दी जाती है।

तिथि- 19. 01. 2021

स्थान- झांसी

हस्ताक्षर

(जी०पी० सिंह)

नाम व पदनाम वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
 बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र०, झांसी
 सरकारी मुहर